Dr. Shailesh Kumar Ram
Assistant professor, Department of Political science
Raja singh College, Siwan, JPU
Mob.No.- 9198886452, Email.ID. saileshram2@gmail.com

Q:1:- अधीनस्थ न्यायालय से क्या समझते हैं?

Ans:- अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court):-

राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायलय एवं अधीनस्थ न्यायलय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायलयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायलय कहने का कारण यह है कि वे उच्च न्यायलय के अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायलय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं।

संवैधानिक उपबंध:

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायलयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है।

(1) जिला न्यायधीश की शक्ति:-

जिला न्यायधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायलय के परामर्श से की जाती है।
वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायधीश के रूप में

नियुक्त किया जाता है, उसमें निम्न योग्यतायें होनी चाहिये:

(क) वह केन्द्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।

(ख) उसे कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो।

(ग) उच्च न्यायलय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।

(2) अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति :-

राज्यपाल, जिला न्यायधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है किन्तु वैसे व्यक्ति को, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायलय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है।

(3) अधीनस्थ न्यायलयों पर नियत्रंण :-

जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबद्ध व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियत्रंण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायलय को होता है।

(4) व्याख्या :-

जिला न्यायाधीश के अंतर्गत - नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायधीश, सहायक जिला न्यायधीश, लघु न्यायलय

का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते है। 'न्यायिक सेवा' में वे अधिकारी आते है, जो जिला न्यायधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते है।

(5) कुछ न्यायाधीशों के लिये उक्त उपबंधों का लागू होना :-

राज्यपाल यह निर्देश दे सकते है कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायधीशों की किसी वर्ग या वर्गों पर लागु हो सकते है।

संरचना एवं अधिकार क्षेत्र :-

राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है। तथापि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के तीन स्तर होते है। इन्हें नीचे दर्शाया गया है:

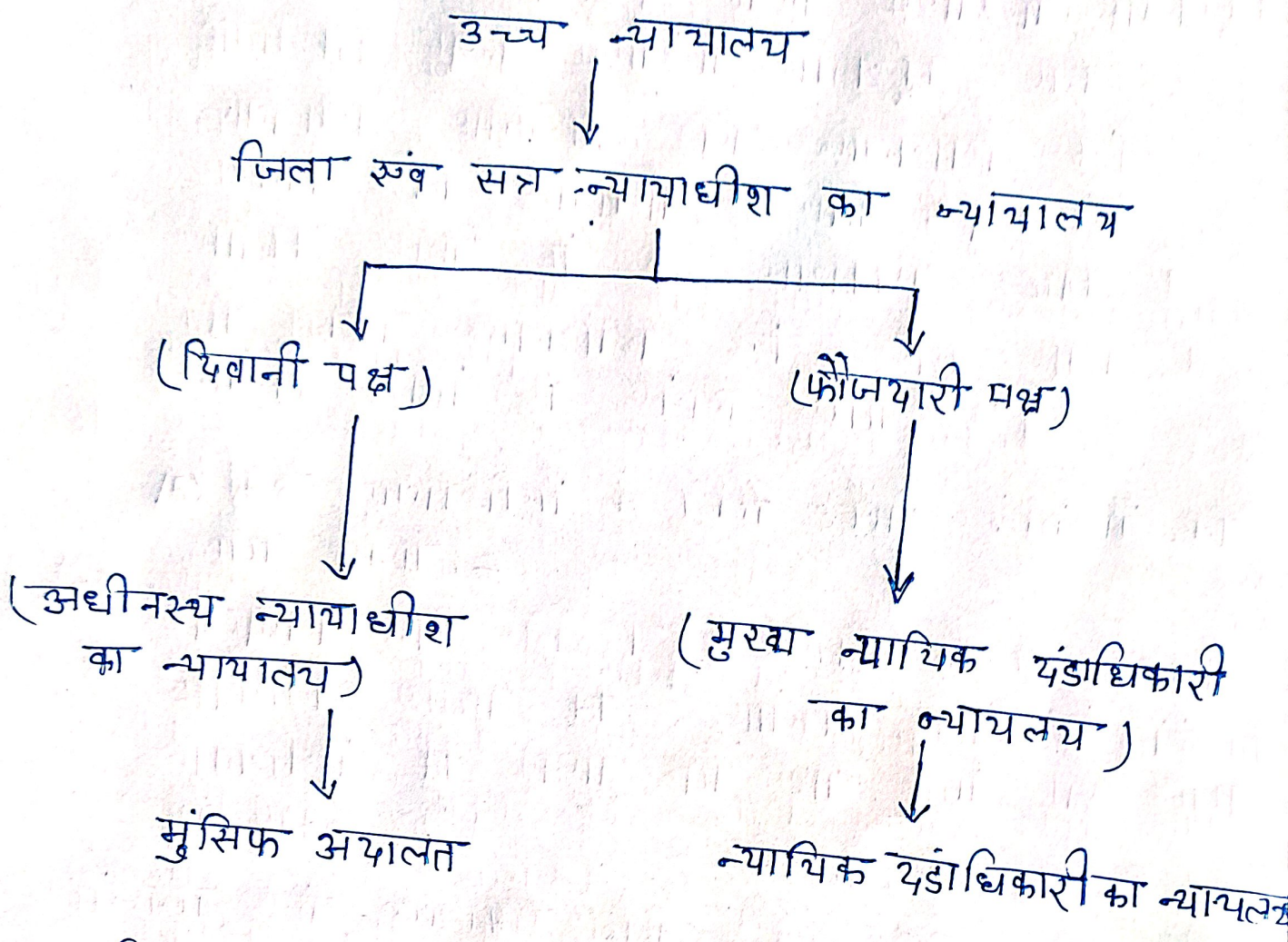

जिला न्यायधीश, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे अपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायधीश भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है तथा जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। उसके पास जिले के अन्य

सभी अधीनस्थ न्यायलयों का निरीक्षण करने की शक्ति भी होती है। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्रकैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिये गये मृत्युदंड पर सभी अमल किया जाता है, जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नीचे दीवानी मामलों के लिये अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है अधीनस्थ न्यायाधीश को दिवानी याचिका (सिविल सूट) के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तथा सात वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है सबसे निचले स्तर पर, दीवानी मामलों के लिये मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायलय तथा फौजदारी मामलों के लिये सत्र न्यायाधीश का न्यायलय होता है। मुंसिफ न्यायाधीश का कार्यक्षेत्र होता है तथा वह छोटे दिवानी मामलों पर निर्णय देता है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, जिसमें

तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है
कुछ महानगरों में, दीवानी मामलों के लिये
नगर सिविल न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश)
एवं फौजदारी मामलों के लिये महानगर
न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
कुछ राज्यों एवं प्रेसीडेंसी नगरों में छोटे
मामलो के लिये पृथक न्यायालयों की स्थापना
की गयी है। ये न्यायालय छोटे दीवानी
मामलों की सुनवाई करते हैं। उसका निर्णयों
की समीक्षा कर सकता है।
कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे
दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करते
हैं इन्हें कई नामों से जाना जाता है,
जैसे - न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती
पंचायत, पंचायत अदालत आदि।